HRA AN USIUSION Che Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2007/माघ 5, 1928

No. 401

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2007/MAGHA 5, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 51(अ),—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) और धारा 10 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके केन्द्रीय सरकार, निदेशक (वित्त), पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग के स्थान पर, उप सचिव (पत्तन संचालन और प्रशासन), पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग को एतद्द्वारा, कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में एक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोतपरिवहन विभाग, (पत्तन स्कंध) की दिनांक 23 मई, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 306(अ) में नियुन्तिखित संशोधन करती है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 4 में उल्लिखित शब्दों, ''निदेशक (वित्त), पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग'' को ''उप सिवव (पत्तन संचालन और प्रशासन), पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग'' शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. पीटी-18011/8/2005-पीटी] अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2007

G.S.R. 51(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 and Sub-section (2) of Section 10 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Deputy Secretary (Port Operation & Administration) Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, on the Board of Trustees of the Kandla Port Trustvice Director (Finance), Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping; (Ports Wing) No. G.S.R. 306(E) dated 23rd May, 2006.

2. In the said notification against serial number 4 for the words "Director (Finance) Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping", the words "Deputy Secretary (Port" Operation & Administration) Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping" shall be substituted.

[F. No. PT-18011/8/2005-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.